न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 87/17

1. राधाकिशन पुत्र कन्हैया
2. गुटटीराम पुत्र कन्हैया
3. प्रताप सिह पुत्र हररूप
4. हंसराज पुत्र हररूप
5. सुफेदी पत्नि स्व0हररूप
6. सुनीता पुत्री हररूप
7. प्रेम पुत्री हररूप समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान घाटरा शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांटान

बनाम

1. हरिसिह पुत्र जौहरी
2. रामकिशोर पुत्र जौहरी
3. शिवदयाल पुत्र जौहरी
4. शिवराम पुत्र जौहरी
5. प्रेम सिह रामकिशोर
6. आलमसिह पुत्र रामकिशोर
7. आनंद सिह उर्फ बच्चूसिह पुत्र विनयसिह सभी जातियान निवासी घाटरा शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम मु0न0 49/2017 निर्णय दिनांक 30.10.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा
2. रेस्पोडेटान की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता

26-2-20
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0नं0 49/2017 निर्णय दिनांक 30.10.17 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1261 रकबा 0.30 है0, 1261/1619 रकबा 0.12 है0 , 1295 रकबा 1.79 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 है0 ग्राम बदलेटा बुर्जुग पटवार हल्का बालघाट तहसील टोडाभीम मे स्थित है। उक्त आराजीयात सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि बुजंगो के समय [illegible] रही है तथा फसल काश्त करते चले आ रहे है। गैर सा[illegible] सायलान को हेरान परेशान कर उसकी जमीन जायदाद को हड़पना चाहते है। तथा सायलान की जमीन पर कब्जा करना चाहते है। दिनांक 13.6.17 को सायलान अपनी आराजी की अगली फसल के सूल बबूल साफ कर रहे थे कि गैरसायलान एक राय होकर अपने साथ कुछ हमराहीयान को लेकर आ गये और कहा कि तुंम इस जमीन की सफाई क्यो कर रहे हो तो सायलान ने उन्हे समझाया कि उक्त आराजी हमारे कब्जे काश्त की है, उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

को हम हमेशाा से काश्त करते चले आ रहे है इस पर गेरसायलान न0 1 नाराज हो गया और कहा कि उक्त आराजी को तुम्हारे बुर्जगो ने हमे बेच दी है इस पर सायलान ने उन्हे समझाया कि उक्त आराजी को हमने तो तुंम्हे काश्त करते नही देखा है तो तुम्हे कैसे बेच दी तथा तुमने भी कभी भी नही कहा इसलिए तुम बेवजह हमे परेशान क्यो करते हो तथा क्यो विवाद करते हो इस पर गैरसायलान नाराज हो गये और कहने लगे कि हमारे सामने जुबान लडाता है हम इस समस्त आराजी पर कब्जा करेगे। तुमने कोट कचहरी मे कार्यवाही की तो समस्त आराजी पर कब्जा कर गांव से तुम्हे भगा देगे। यदि वाद कारण उत्पन्न होनें पर सायलान/अपीलाट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की इस्तदुआ चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं कानून के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना बहस सुने तथा बिना रेवेन्यू रिकार्ड का अवलोकन किये सरसरी तौर पर विवादित भूमि का नामा0 संख्या 68 दिनांक 8.9.60 चन्दे कोम चमार के स्थान पर कन्हैया पुत्र हरमुख गुर्जर के नाम धारा 19 के तहत खुलवाकर तस्दीक हुआ है। इस पकार अनुसूचित जाति की स्वर्ण जाति के नाम हुई है जो गलत व अवैध है यह लिखकर निर्णय पारित किया है। जमाबंदी सम्वत 2010 लगायत 2013 पर गौर नही कर कानूनी भूल की है। उक्त खसरा नम्बरान के साबिक ख0न0 739, 766 प र अपीलांट के पिता व बाबा ससुर कन्हैया पुत्र हरमुख के नाम खातेदारी मे दर्ज है तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही उक्त आराजी पर सायलान के बुजुर्ग कन्हैया पुत्र हरमुख गुर्जर काबिज थे तथा काश्त करते रहे है। उनके मरने के बाद अपीलांट/सायलान काबिज है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आपास्त योग्य है। अपीलांट/सायलान को उक्त आराजी विरासत मे मिली है। धारा 19 के नामा0 दिनांक 8.9.60 से पूर्व से सायलान के बुर्जगान इस आराजी पर काबिज थे तथा लगातार काश्त करते चले आ रहे है। नामा0 [illegible] की अपील अति0जिला कलेक्टर के न्यायालय मे विचाराधीन [illegible] न्यायालय ने गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस [illegible] गौर नही [illegible] कि विवादित आराजीयात पर सायलान विगत 60 वर्षो से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है सायलान के खिलाफ कोई कार्यवाही उक्त आराजी बाबत नही हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो सिद्वान्तो के बाबत अपने आदेश मे कुछ भी अंकित नही किया है कि प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति सायलान के पक्ष मे कैसे नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उक्त आराजी अपीलांटान/सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी बुजुर्गो से रही है तथा आज भी कब्जे काश्त मे है इसलिए प्राईमाफेसी केस सायलान अपीलांटान के पक्ष मे है। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे है। इस प्रकार अपीलांटान की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में कथन है कि विवादित भूमि का भू प्रबंध से पूर्व ख0न0 739 रकबा 7 बीघा 1 विस्वा , 766 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा है जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 2062 तक मे दर्शाया गया है। यह भूमि सायलान एवं गैरसायलान की पुश्तैनी भूमि है। हरमुख के दो पुत्र कन्हैया व धुन्धी थे। कन्हैया के वारिस सायलान है और धुन्धी का पुत्र जौहरी है व जौहरी के पुत्र गैरसायलान है। इस भूमि पर गैरसायलान हिस्सा 1/2 को पिछले 70 वर्षो से अपने बुजुर्ग जौहरी के समय से ही लगातार आज तक वहैसियत मालिक खातेदार काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर काबिज है। पूर्व मे यह भूमि चन्दे, सिद्दू, चौथी पुत्र मूला कौम चमार साकिन देह की खातेदारी की भूमि थी। जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 व 2013 से 2016 मे दर्ज है लेकिन सायलान/अपीलांट के बुजुर्ग कन्हैया ने बेईमानी पूर्वक चालाकी से तथा चपचाप जौहरी की जानकारी के बिना गलत व अवेध रूप से नामा0 संख्या 68 दिनांक 8.9.60 की धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने नाम खुलवा लिया। तथा नायब तहसीलदार टोडाभीम से तस्दीक करा लिया जो कतई अवैध है। इस नामा0 की भूमि के हिस्सा 1/2 की खातेदारी पूर्व मे रेस्पो0 के बुजुर्ग जोहरी के नाम होनी चाहिए थी चूकि कन्हेया परिवार का कर्ता धर्ता था , धुन्धी खत्म हो गया तथा उसका पुत्र जौहरी था तथा जौहरी ने हिस्सा 1/2 को उनके जीवन मे काश्त किया है उनकी मृत्यु के बाद रेस्पो0 काश्त कर रहे है इस प्रकार रेस्पो0 विवादित भूमि मे हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है तथा अपने हक मे खातेदारी कराने के हकदार है। अपीलार्थी का Locus standi नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक रूप से किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। विवादित भूमि खसरा न0 739 रकबा 7 बीघा 1 विस्वा तथा ख0न0 766 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा का अंकन पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामा0 संख्या 68 तस्दीक दिनांक 8.9.60 चन्दे आदि कोम चमार सा0 देह हिस्सा बराबर के स्थान पर कन्हैया पुत्र हरमुख गुर्जर सा0 घाटराशेरपुर के नाम धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खोला गया है जो कि अनुसूचित जाति से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दी गई है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जला कलेक्टर टोडाभीम मु0न0 49/2017 निर्णय दिनांक 30.10.17 को यथावत रखा जाता है।

अतः अपील निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26.2.20

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 14:12:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: